न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पोक्सो एक्ट, द्वितीय, हापुड़।

विशेष सत्र परीक्षण सं०– 82/2018

सरकार बनाम शाहरुख आदि।

अं० धारा– 376 डी०, 328, 323, 506 भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 375/2018

थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांकः– 27.01.2021

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण शाहरुख व वसीम जेरे जमानत उपस्थित आये।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया। विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण शाहरुख व वसीम के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 376 डी०, 328, 323, 506 व 3/4 पोक्सो अधिनियम के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 12.02.2021 को पेश हो।

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पोक्सो एक्ट,द्वितीय, हापुड़।

Digitally signed by Anutosh Kumar Sharma
Date: 2021.02.04 11:18:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पोक्सो एक्ट, द्वितीय, हापुड़।

विशेष सत्र परीक्षण सं०– 82/2018

सरकार बनाम शाहरुख आदि।

अं० धारा– 376 डी०, 328, 323, 506 भा०दं०सं०

व 3/4 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 375/2018

थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़

आरोप

मैं, अनुतोष कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट द्वितीय, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण शाहरुख व वसीम को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूं–

प्रथम– यह कि दिनांक 11/12.07.2018 समय रात्रि 01.00 बजे बस्थान मौ० सद्दीकपुरा, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़ से आप अभियुक्तगण ने समूह बना कर एक ही आशय को पूरा करने के इरादे से वादी मुकदमा की अवयस्क के साथ सामूहिक बलात्संग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 376 डी० के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपराध किए जाने को सुगम बनाने के आशय से वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को नशीली वस्तु सुंघाई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 328 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री व वादी मुकदमा की पत्नी के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री व वादी मुकदमा की पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

<u>पंचम</u>– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री के साथ Penetrative Sexual Assault किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–27.01.2021

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पोक्सो एक्ट द्वितीय,हापुड़

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करता हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–27.01.2021

(अनुतोष कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पोक्सो एक्ट द्वितीय,हापुड़